

शाखा

एप्रजेल नोट

आवेदक श्री..... पुत्र श्री.....

निवासी.....पता.....

.....मालिक फर्म.....द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने हेतु
(केश क्रेडिट लिमिट रु.अक्षरे रु.)

कें लिये आवेदन किया गया है। आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रपत्र संलग्न है, जिसकी सत्यता आवेदक से साक्षात्कार कर निर्धारित कर लिं गई है।

क्र.सं. नाम प्रपत्र सलंगन है/अथवा नहीं

1. आवेदक का फोटू मय राशन कार्ड
2. आवेदक फर्म का एकल स्वामित्व रखता है।
अतः स्वामित्व संबंधी घोषणा पत्र नियमानुसार स्टाम्प पर
3. पार्टनरशिप फर्म होने पर पार्टनर शिप डीड की प्रति
4. आवेदक के व्यापार संबंधी पीछले तीन वर्ष के आर्थिक
आकड़े व्यापार खाता, लाभ, हानि खाता एवं बेलन्सशीट
5. व्यवसाय का पंजीयन प्रमाण पत्र
6. आवेदक के व्यवसायी परिसर के स्वामित्व /किराये नामें
संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति— दुकान का फोटो (साईन बोर्ड सहित)
7. विक्रय कर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति
8. नाबाकियत का प्रमाण पत्र
9. पीछले तीन वर्षों के आयकर रीटर्न की प्रति एवं आयकर
भूगतान करने पर चालान की प्रति
10. दिनांक.....के अंतिम स्टॉक की सूची प्रमाणित शुदा
11. ओवदक द्वारा ऋण के पेटे कोलेटरेल सिक्युरिटिज में रखीं
जाने वाले सम्पत्ति के मुल दस्तावेजों की प्रतियां
12. जमानतदारों के फोटू राशन कार्ड एवं हैसियत के प्रमाण
- स्वरूप सम्पत्ति के दस्तावेजों की प्रतियां
13. रहन रखी जाने वाली सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट—
स्वामित्व एवं भारमुक्ति बाबते विधि सलाहकार की सर्व रिपोर्ट
14. रहन रखी जाने वाली सम्पत्ति का मुल्यांकन रिपोर्ट
- बैंक वेल्युवर द्वारा—
15.

आवेदक श्री को नियमानुसार बैंक का नोमिनल सदस्य बना लिया गया हैं एवं आवेदक के लिए जमानत प्रस्तुत कर्ता जमानतदारों से साक्षात्कार कर उनकी हैसीयत ऋण राशि के अनुपात में तस्दीक की जाकर जमानतदारों को भी नियमानुसार बैंक का नोमिनल सदस्य बना लिया गया हैं। ऋण आवेदक/जमानतदार द्वारा रु की अचल सम्पति के मूल दस्तावेज इक्वीटेबल मोरगेज कराने के लिए सहमत है जिसकी छाया प्रति मय मूल्यांकन प्रमाण पत्र एवं नाभार प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में सलग्न है। उक्त अचल सम्पति का भौतिक सत्यापन भी मेरे द्वारा विजिट किया है। उक्त विजिट व्यापारिक प्रतिष्ठान में उपलब्ध स्टाक की सुची संलग्न है जिसके अनुरूप विजिट दिनांक को रु मूल्य का स्टाक उपलब्ध था जो पत्रावली में संलग्न है। अन्य दस्तावेज ऋण स्वीकृति उपरान्त निषादित कराकर विधिक जांच कराली जावेगी जिसे ऋण पत्रावली के साथ रेकार्ड में रखा जावेगा। अतः उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र की जांच कर लि गई है एवं ऋणी व प्रस्तावित जमानतदारों से साक्षात्कार कर लिया गया हैं। ऋण हेतु पात्रता निम्नानुसार निर्धारण योग्य है।

- (A) आवेदक द्वारा ऋण की सुरक्षा हेतु प्रस्तुत कोलरेटल सिक्यूरिटी का वर्तमान बाजार मूल्य /DLC दरों के आधार पर मूल्य दोनों में से जो भी कम है का 66.33 प्रतिशतराशि
- (B) आवेदक के व्यापारिक प्रतिष्ठान में उपलब्ध स्टॉक रु का 60% राशि रु.....
- (C) आवेदक द्वारा प्रस्तुत तीन वर्षों की बिक्री की औसत का 15% अथवा अन्तिम वर्ष बिक्री का 20%
- (D) आवेदक द्वारा चाही गई साख सीमा रु
अतः आवेदक के पक्ष में वर्ष के लिए रु
की साख सीमा स्वीकृत करने की सीफारीश करता हूं।

शाखा व्यवस्थापक

शाखा

चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., चित्तौड़गढ़

—नकद साख सीमा (टृष्णि बन्धक) के लिये आवेदन—पत्र

श्रीमान प्रबन्ध निदेशक,

चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.

चित्तौड़गढ़ (राज0)

महोदय,

फोटो आवेदक

मैं/हम नकद साख सुविधा हेतु ऋण के लिये बैंक से रूपयेअक्षरे रूपये

.....के लिये आवेदन करता/करती हूँ/करते हैं। आवश्यक जानकारी निम्नानुसार हैं

1. फर्म/व्यवसाय का नाम :
2. फर्म का पूरा पता :
3. टेलीफोन नं. :
4. स्वत्वाधिकार /साझेदारी :

पार्टनरशिप डीड के अनुसार सभी भागीदारों

का पूर्ण विवरण संलग्न करें) :

अ नाम :

आ पिता/पति का नाम :

ई वर्तमान पता :

.....

.....

उ टेलीफोन नं. :

ऊ स्थाई पता :

.....

.....

ए टेलीफोन नं. :ऐ
आयु :

5. फर्म में किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता है :

6. व्यापार शुरू करने की तारीख :

7. व्यवसाय का विवरण (लघु उधोग हो तो :

पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें)

8. व्यवसाय का परिसर स्वयं का है या किराये का
(किराये का हो तो किराया नामा संलग्न करें)

9. व्यवसाय का लाइसेन्स, अन्य पंजीकरण
यदि हो तो विवरण व प्रति संलग्न करें) :

10. व्यवसाय में साप्ताहिक अवकाश का दिन _____

11. विक्रय कर पंजीकरण नं.

12. अंतिम विक्रय कर निर्धारण वर्ष निर्धारित बिक्री विक्रय कर राशी

13. रोजगार : पूर्णकालिक अशंकालिक

14. वर्तमान बैंकर्स के नाम और खाते का विवरण :.....

15. आवेदक का इस बैंक में खाते का विवरण :..... व
खाता नम्बर

16 उन सभी वित्तीय संस्थाओं व विभागों के नाम, :
विवरण, जिनसे आवेदक ने ऋण लिया है या आवेदन किया है।

17 आवेदक ने अन्य बैंक से ऋण लिया है/आवेदन किया हो तो :.....

18. अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त बकाया :

ऋण का विवरण

19. विंगत तीन वर्षों के आयकर निर्धारण वर्ष निर्धारित आय कर की राशि

1.
2.
3.

20. क्रय विक्रय एवं आय-व्यय का विवरण वर्ष वर्ष वर्ष
 (गत तीन वर्षों के)

1.	व्यापार में स्वयं की पूँजी :
2.	वर्ष में क्रय
3.	वर्ष में विक्रय
4.	अन्तिम स्टॉक
5.	शुद्ध लाभ
6.	आयकर विवरणी प्रस्तृत

प्रस्तुत करने की तारीख

21. (अ) आवेदक की चल सम्पत्ति का विवरण :

(ब) कुल अचल सम्पति की अनुमानित फीस :.....

22 अचल सम्पत्ति

1. सम्पति का व्योरा :

2. कहाँ स्थित हैं और पता
.....

3. अनुमानित कीमत :.....

4. मालिकाना हक (खुद की या भागीदारी :.....
में या संयुक्त परिवार की)

23. संदर्भ हेतु दो नाम व पते दें 1. :.....
:.....
2. :.....
:.....

क) दो परिचितों फर्मो/व्यक्तियों 1. :.....
के नाम व पते अंकित करें
ख आपके प्रमुख सप्लायर्स के
नाम व पते अंकित करें । 1. :.....
ग आपके प्रमुख ग्राहक के
नाम व पते अंकित करें 1. :.....

24. जमानती के नाम व पिता का नाम व पता 1. :.....
:.....
:.....
2. :.....
:.....
:.....

मैं/हम आवेदक घोषणा करता/करती/करते हैंकि उपरोक्त दिये हुए सभी विवरण मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। यदि यह ऋण मन्जुर किया जाता है तो उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जावेगा, जिसके लिये मन्जुर किया गया है। मेरा/हमारा बैंकिंग व्यवहार केवल आपके बैंक तक समित रहेगा और मेरी/हमारी आय/बिक्री आपके बैंक खाते में जमा की जावेगी मैं/हम आपकी पूर्व लिखित सहमति के बिना ऋण की कालावधि में किसी अन्य बैंक यस किसी अन्य स्त्रोत से उधार नहीं लेंगें।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर

दिनांक

जमानती का विवरण एवं सहमति पत्र

शाखा प्रबंधक

चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. चित्तौड़गढ़

शाखा.....

महोदय,

जमानतदार
का
फोटो

श्री.....पुत्र/पति श्री.....

जिन्होने आपकी बैंक से ऋण रु..... हेतु आवेदन किया है मैं उक्त वर्णित ऋण के लिए जमानत देने को अपनी सहमति देता हूं तथा जमानती के रूप में उन समस्म पत्रादि एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को तैयार हूं जो बैंक द्वारा ऋण स्विकार करने पर ऋणी सदस्य से निष्पादित कराये जायेगे।

विवरण निम्न प्रकार है—

1. नाम.....
2. पिता / पति का नाम.....
3. घर का पता
4. व्यवसाय / कार्यालय का नाम, पता व टेलिफोन नं.....
5. सर्विस या व्यवसाय में कब से है
6. मासिक वेतन/व्यवसाय से आय रु..... कटौती रु..... शुद्ध आय रु.....
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. आप पार्थी को कब से जानते हैं.....
तथा आपका उनसे क्या सम्बन्ध है.....
8. क्या आपने बैंक से किसी प्रकार का ऋण ले रखा हैं यदि 'हाँ' तो राशी व विवरण देवे.....
9. अन्य दी गई जमानत का विवरण
10. हैसियत के प्रमाण स्वरूप सम्पत्ति के दस्तावेजों की संलग्न छायाप्रति के अनुसार विवरण
 - (अ) चल/अचल सम्पत्ति का विवरण
 - (ब) बाजार मुल्य
 - (स) क्या सम्पत्ति भार मुक्त है ?

ऋण होने की स्थिति में विस्तृत विवरण अंकित करें।

स्थान :.....
दिनांक :..... (जमानती के हस्ताक्षर)

जमानती का विवरण एवं सहमति पत्र

शाखा प्रबंधक

चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. चित्तौड़गढ़

शाखा.....

महोदय,

जमानतदार

का

फोटो

श्री.....पुत्र / पत्नि श्री.....

जिन्होनें आपकी बैंक से ऋण रु..... हेतु आवेदन किया है मैं उक्त वर्णित ऋण के लिए जमानत देने को अपनी सहमति देता हूं तथा जमानती के रूप में उन समस्म पत्रादि एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को तैयार हूं जो बैंक द्वारा ऋण स्विकार करने पर ऋणी सदस्य से निष्पादित कराये जायेंगे।

विवरण निम्न प्रकार है—

7. नाम.....
8. पिता / पति का नाम.....
9. घर का पता
10. व्यवसाय / कार्यालय का नाम, पता व टेलिफोन नं—.....
11. सर्विस या व्यवसाय में कब से है
12. मासिक वेतन/व्यवसाय से आय रु..... कठौती रु..... शुद्ध आय रु.....
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. आप पार्थी को कब से जानते हैं.....
तथा आपका उनसे क्या सम्बन्ध है.....
8. क्या आपने बैंक से किसी प्रकार का ऋण ले रखा हैं यदि 'हाँ' तो राशी व विवरण देवे.....
9. अन्य दी गई जमानत का विवरण
10. हैसियत के प्रमाण स्वरूप सम्पत्ति के दस्तावेजों की संलग्न छायाप्रति के अनुसार विवरण
(अ) चल / अचल सम्पत्ति का विवरण
(ब) बाजार मुल्य
(स) क्या सम्पत्ति भार मुक्त है ?
ऋण होनें की स्थिति में विस्तृत विवरण अंकित करें।

स्थान :.....

दिनांक :.....

(जमानती के हस्ताक्षर)

Photo

ऋण अनुबन्ध—पत्र

चित्तौड़गढ केन्द्रीय सहकारी बैंक. लि. चित्तौड़गढ़के पक्ष में श्री.....
.....की और से ।

बैंक ने मुझे/फर्म को रूपये /अक्षरे
.....रूपये मात्र योजना के
अन्तर्गत ऋण उधारदेना स्वीकार किया है। इस सम्बन्ध में नीचे लिखी शर्तों का पालन करना स्वीकार
किया है। तथा उसके अनुसार हम/ मैं बैंक के प्रति उत्तरदायी रहेंगे/रहुगां।

1. मैं/हमने बैंक से लिये गये ऋण के अनुसार बैंक के पक्ष में वचन पत्र दूगां/देगें/दुगिं।
2. उपरोक्त ऋण के लिए बैंक एक खाता रहेगा वचन पत्र में ब्याज अदा करने के लिए किसी प्रकार की कोई शर्त हो तो भी हम प्रतिमाह कर्ज का ब्याज नकद अदा करेंगे और ब्याज अदा न करने पर उस तारीख तक की ब्याज की रकम ऋण खातें में नामे लिख देने का बैंक का अधिकार होगा।
3. वचन पत्र में ब्याज की दर के लिए कुछ भी नहीं लिखा होने पर भी बैंक को दिये हुए ऋणों पर नीचे लिखी शर्तों के अनुसार ब्याज लगाने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।
 - (अ) बैंक द्वारा समय — समय पर निर्धारित ब्याजदर अनुसार स्वीकृत ऋण पेटे बकाया शेष पर नियमानुसार ब्याज लगाया और जोड़ा जायेगा।
 - (ब) यदि दिये हुए कर्ज की मियाद तथा बैंक द्वारा बढ़ाई गई मियाद के बाद भी रकम बाकि रहे तो नियमानुसार एवं बैंक द्वारा लागू दण्डनीय ब्याज लगाया और जोड़ा जायेगा।
4. वचन पत्र में लिखी हुई रकम यदि निश्चित अवधि के पहले चुकाई जावेगी तो बैंक को स्वीकार करनी होगी। और कटौती मिति से ब्याज लगाया जायेगा।
5. वचन पत्र की रकम यदि निश्चित समय पर नहीं चुकाई अथवा इस ऋण पत्र की किसी शर्त को भंग किया जायेग अथवा बैंक की संचालन समिति की सम्मति में फर्म के मालिक या किसी साझेदार के चले जाने जाने के बाद अथवा किसी दूसरे कारणों से यदि बैंक के कर्ज की वसूली होने में कोई खतरा पैदा होने की संभावना हो तो बैंक को ऋण खाते की समस्त रकम को एक मुश्त मांगने तथा वसूल करने का हक होगा।
6. जब तक मेरे/फर्म द्वारा बैंक से लिया गया ऋण मय ब्याज तथा अन्य खर्चों के बैंक को अदा नहीं करनाबाकियात प्रमाण—पत्र नहीं प्राप्त कर लिया जाता हैं तब तक मेरी/फर्म की कुल वर्तमान तथा भविष्य में अर्जित चल अचल सम्पत्ति जिसमें मेरे/फर्म के द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गई कोलरेटल सिक्युरिटी में शामिल होगी जिस बैंक को पुरा प्रथम अधिकार होगा तथा मुझसे/ हमारे को उपरोक्त सम्पत्ति को बिना ऋण मय ब्याज अदायगी या बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना बेचने अथवा रहन करने अथवा किसी रूप में बन्धक करने का अधिकार नहीं होगा।
7. यदि मेरे/फर्म द्वारा उपरोक्त शर्तों के पालन में कोई कसर रहें या बैंक अपने ऋण की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे तो बैंक को अधिकार होगा कि मेरी/फर्म की समस्त स्टॉक तथा चल अचल सम्पत्ति अपने कब्जे में कर लेवें और उस पर अपना ताला लगावें। साथ ही बैंक उपरोक्त स्टॉक व कालरेटल सिक्युरिटी में रखी गयी सम्पत्ति को बेच कर बकाया ऋण राशि एवं उस तारीख तक ब्याज मय खर्चों के वसूल कर लेवें। इस कार्यवाहि में मुझे/फर्म को कोई उज्ज्ञ नहीं होगा।

8. ऋण स्विकृति के पश्चात मेरे/फर्म द्वारा किसी अन्य बैंक में खाता नहीं रखा जायेगा एवं व्यवसाय से सम्बन्धित समस्त लेन-देन वित्तपोषिक बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा एवं नकद ब्रिकी राशि भी बैंक में जमा कराई जायेगी। मेरे/हमारे /फर्म द्वारा बैंक को मासिक/पाक्षिक स्टॉक सूचि प्रस्तुत की जावेगी एवं उक्त माल को दृष्टिबंधक रखा जायेगा।
9. आज दिनांक.....को इस आलेख पर हमने पूरे होश हवास व अकल से पढ़ व समझ कर हस्ताक्षर किये हैं।

शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर

वास्ते—.....

(आवेदक) के हस्ताक्षर

गवाह के हस्ताक्षर

1. नाम

नाम.....

पता.....

पता.....

.....

.....

2. नाम

पता.....

.....

जमानत अनुबन्ध—पत्र

Photo

प्रेषिति :—

चित्तौड़गढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,

चित्तौड़गढ

प्रिय श्रीमान्

जैसा कि आपकी बैंक द्वारा ऋण योजना के अन्तर्गत
श्री..... पुत्र श्री

(जिसे आगे ऋणी कहा जावेगा) निवासी..... को रु.....
(अक्षरे रु.....) का ऋण देना स्वीकार किया जाता है।

उक्त ऋणी को जारी किये गये समस्त ऋण मय ब्याज/अन्य देयता एवं वचन पत्र के लिए मैं/हम एतद्वारा एकल/संयुक्त रूप ये अपनी व्यक्तिगत जमानत देता हूँ।

यह है कि मेरी व्यक्तिगत हैसियत कुल चल—अचल सम्पति से रु.....
(अक्षरे रु.....) की है। उक्त चल एवं अचल सम्पति को यह जमानत पत्र निष्पादित करने के उपरान्त अन्य कोई भार अथवा बेचान मेरे द्वारा नहीं किया जायेगा।

यह है कि मैं आपकी बैंक का नोमिनल सदस्य हूँ एवं सहकारी अधिनियम के समस्त प्रावधान मुझ पर प्रभावी होगें।

यह है कि मैं गर्भित स्वीकृति प्रस्तुत करता हूँ कि बैंक का पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त ऋणी के विरुद्ध बकाया ऋण तातारीख ब्याज एवं अन्य देयताओं के विरुद्ध मेरी चल, अचल सम्पति को अधिग्रहण कर जरीए बिकी समस्त बकाया राशि को एक मुश्त वसूल कर सकेगा। यदि ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज एवं अन्य देयताओं के चुकाने के लिए प्रतिबद्ध होउगां एवं बैंक द्वारा उक्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं की वसूली हेतु मेरी चल अचल सम्पति जरिए विक्रय बकाया राशि वसूल की जाएगी। जिसके लिए मुझे किसी प्रकार का उज्ज्वल एवं एतराज नहीं होगा।

ऋणी की और से किसी भी दिनांक को बकाया ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं का बैंक को चुकारा नहीं किया जावेगा तो मैं उक्त बकाया समस्त राशि मय हर्जा खर्चा जमा कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ/होंगे।

यह है कि उक्त ऋणी द्वारा व्यवसाय का समापन कर दिया जावे या अथवा दिवालिया हो जाने पर भी एतद् जमानत पत्र में उक्त ऋणी की और बकाया समस्त ऋण ब्याज एवं अन्य देयताओं के चुकारे के लिए प्रतिबद्ध हो हूँगां एवं बैंक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बैंक मेरी चल—अचल सम्पति को विक्रय कर उक्त बकाया समस्त राशि वसूल कर सकें। जिसके लिए मुझे कोई उज्ज्वल एवं एतराज नहीं होगा।

यह है कि जमानत अनुबंध पत्र जब तक ऋणी द्वारा अथवा मेरे द्वारा बकाया समस्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं के सहित आपकी बैंक को अदा कर नाबाकियात प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेता तब तक के लिए मुझ पर प्रभावशील होगा एवं मुझ पर बन्धन कारी रहेगा।

यह है कि जमानत अनुबंध पत्र आज दिनांक को निम्नानुसार साक्षियो के समक्ष हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है। जो वक्त जरूरत काम आवें।

साक्षी के हस्ताक्षर

- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1. नाम..... | जमानतदार के हस्ताक्षर |
| पता..... | |
| 2 नाम | |
| पता..... | |

जमानत अनुबन्ध—पत्र

Photo

प्रेषिति :—

चित्तौड़गढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,

चित्तौड़गढ

प्रिय श्रीमान्

जैसा कि आपकी बैंक द्वारा ऋण योजना के अन्तर्गत
श्री..... पुत्र श्री

(जिसे आगे ऋणी कहा जावेगा) निवासी..... को रु.....
(अक्षरे रु.....) का ऋण देना स्वीकार किया जाता है।

उक्त ऋणी को जारी किये गये समस्त ऋण मय ब्याज/अन्य देयता एवं वचन पत्र के लिए मैं/हम एतद्वारा एकल/संयुक्त रूप ये अपनी व्यक्तिगत जमानत देता हूं।

यह है कि मेरी व्यक्तिगत हैसियत कुल चल—अचल सम्पति से रु.....
(अक्षरे रु.....) की है। उक्त चल एवं अचल सम्पति को यह जमानत पत्र निष्पादित करने के उपरान्त अन्य कोई भार अथवा बेचान मेरे द्वारा नहीं किया जायेगा।

यह है कि मैं आपकी बैंक का नोमिनल सदस्य हूं एवं सहकारी अधिनियम के समस्त प्रावधान मुझ पर प्रभावी होगें।

यह है कि मैं गर्भित स्वीकृति प्रस्तुत करता हूं कि बैंक का पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त ऋणी के विरुद्ध बकाया ऋण तातारीख ब्याज एवं अन्य देयताओं के विरुद्ध मेरी चल, अचल सम्पति को अधिग्रहण कर जरीए बिकी समस्त बकाया राशि को एक मुश्त वसूल कर सकेगा। यदि ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज एवं अन्य देयताओं के चुकाने के लिए प्रतिबद्ध होउगां एवं बैंक द्वारा उक्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं की वसूली हेतु मेरी चल अचल सम्पति जरिए विक्रय बकाया राशि वसूल की जाएगी। जिसके लिए मुझे किसी प्रकार का उज्ज एवं एतराज नहीं होगा।

ऋणी की और से किसी भी दिनांक को बकाया ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं का बैंक को चुकारा नहीं किया जावेगा तो मैं उक्त बकाया समस्त राशि मय हर्जा खर्चा जमा कराने के लिए प्रतिबद्ध हू/होंगे।

यह है कि उक्त ऋणी द्वारा व्यवसाय का समापन कर दिया जावे या अथवा दिवालिया हो जाने पर भी एतद् जमानत पत्र में उक्त ऋणी की और बकाया समस्त ऋण ब्याज एवं अन्य देयताओं के चुकारे के लिए प्रतिबद्ध हो हूगां एवं बैंक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बैंक मेरी चल—अचल सम्पति को विक्रय कर उक्त बकाया समस्त राशि वसूल कर सकें। जिसके लिए मुझे कोई उज्ज/एतराज नहीं होगा।

यह है कि जमानत अनुबंध पत्र जब तक ऋणी द्वारा अथवा मेरे द्वारा बकाया समस्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं के सहित आपकी बैंक को अदा कर नाबाकियात प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेता तब तक के लिए मुझ पर प्रभावशील होगा एवं मुझ पर बन्धन कारी रहेगा।

यह है कि जमानत अनुबंध पत्र आज दिनांक को निम्नानुकूल साक्षियो के समक्ष हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है। जो वक्त जरुरत काम आवें।

साक्षी के हस्ताक्षर

- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1. नाम..... | जमानतदार के हस्ताक्षर |
| पता..... | |
| 2 नाम | |
| पता..... | |

दृष्टि बन्धक विलेख

संख्या
राशि.....
नाम.....

चित्तौड़गढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., चित्तौड़गढ (जिसके आगे बैंक की संज्ञा दी गई है)

नेउद्देश्य से ऋण प्रदान करने की स्वीकृति पर एक खाता.....

.....रूपया तक ऋणी के नाम से खोला है अथवा खोलना स्वीकार किया है जो खाता बैंक द्वारा समाप्त न किये जाने तक चालू रहेगा और जिसकी सुरक्षा के लिए चल अचल सम्पत्ति को दृष्टि बन्धक करने हेतु बैंक एवं ऋणी (जो व्यक्तिगत तथा सामुहिक रूप में बाध्य होना स्वीकार करते हैं) के मध्य निम्नांकित करार किया जाता है।

1. कि ऋणी सम्मिलित सूचिका में सामान्यतः वर्णित सामान पर बैंक के पक्ष में प्रथम प्रभार स्थापित करना है। ऋणी का यह सामान स्टॉक, कच्चा अथवा तैयार माल, मशीनरी फर्नीचर आदि जो भी सामान ऋणी के गोदाम कार्यालय फैक्ट्री अथवा अन्यत्र किसी स्थान में रखा हुआ संग्रहीत है अथवा भविष्य में संग्रहीत किया जायेगा, ऋणी द्वारा बैंक की देय रकम के भुगतान की सुरक्षा के लिए वह आगे उपप्राधियत सामान (हाईपोथीकेटेड गुड्स) सम्बोधित किया जावेगा। इस अनुबन्ध में वर्णित बैंक को देय रकम के अर्थ में किसी भी समय भी मूलधन की अवशेष रकम के साथ-साथ निम्न प्रकार उल्लेखित दर से भी सभी प्रतिदिन का ब्याज व सभी ऋण अथवा दायित्व, जिसका वर्णन आगे चरण (13) में किया गया है और यह रकम जो भी उपप्राधियत सामान के सम्बन्ध में अथवा उसको बेचने आदि के सम्बन्ध में बैंक द्वारा चार्ज अथवा उसको बेचने आदि के सम्बन्ध में बैंक द्वारा चार्ज अथवा खर्च की जावेगी, अथवा समझा जावेगा।
2. कि उप प्राधियत सामान और उसकी बिक्री वसूली एवं इन्शोयरेन्स से प्राप्त सभी प्रतिफल एक मात्र बैंक सम्पत्ति की तरह विशेषतः इस दृष्टि बन्धक रहेगा और ऋणी अथवा उसके किसी भाग को बैंक के किसी भी भाग पर कभी किसी प्रकार का प्रभार उत्पन्न नहीं होने देगा और न कभी ऐसा कोई कार्य करेगा कि जिससे उप प्राधियत सामान अथवा उसकी बिक्री, वसूली एवं इन्शोयरेन्स से प्राप्त किसी प्रतिफल को हानि पहुंचे अथवा जिस कार्य के लिये बैंक द्वारा लिखित में निषेध किया गया हो।
3. कि ऋणी बैंक की पूर्व स्वीकृति के उपप्राधियत सामान को किसी प्रकार तभी व्यय कर सकता है अथवा बेच सकता है जबकि वह कम से कम उस सामान के मुल्य के बराबर रकम पहले से खाते में जमा कर दे अथवा बैंक की लिखित स्वीकृति प्राप्त करके उस मुल्य के बराबर अन्य सामान उसके स्थान पर बन्धक कर दे।
4. कि ऋणी बैंक के कर्मचारियों अथवा एजेन्ट्स को समय-समय पर अपने गोदामों अथवा उन स्थानों में जहा उप प्राधियत सामान रखा हो उस सामान का निरीक्षण, देखभाल मूल्यांकन करने अथवा सूची बनाने हेतु प्रवेश करने देगा और बैंक अथवा उसके कर्मचारियों को तदर्थ आवश्यक सुविधायें देगा।
5. कि ऋणी उन गोदामों की अथवा स्थानों का जहा उप प्राधियत सामान रखा हो, किराया एवं कर आदि समय-समय पर अदा करता रहेगा और सब प्रकार से भार मुक्त रखेगा।
6. कि उस प्राधियत सामान को आग, चोरी अथवा खराबी के कारण हुई सब प्रकार की क्षति की पूर्ति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ऋणी की होगी। अतः यह बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त कम्पनी में बैंक के हित में उपप्राधियम सामान का भाग, चोरी आदि से रक्षार्थ आवश्यक इन्शोयरेन्स करा कर पालिसिया व किश्तों की रसीदे बैंक के नाम करके बैंक द्वारा मांगी

जाने पर फौरन देगा और यदि ऐसा न करेगा तो तीन दिन बाद बैंक को ऋणी के खर्च से ऐसा इन्शोयरेन्स कराने का अधिकार होगा।

7. कि उक्त इन्शोयरेन्स के कारण जो कुछ रकम प्राप्त होगी, यह रकम के भुगतान के लिए काम आएगी और अधिक होने पर शेष रकम चरण (13) में वर्णित कार्यों में खर्च की जावेगी ।
8. कि ऋणी उप प्राधियत सामान को बैंक के हित में सदैव बनाये रखेगा। यह अन्तर बैंक द्वारा किसी भी समय निर्धारित मूल्य पर आकां जा सकेगा इस अन्तर को सदा बनाये रखने के लिए ऋणी या तो नकद रकम खाते में जमा कराता रहेगा अथवा उसी मूल्य का अन्य सामान बैंक की लिखित स्वीकृति से उपप्राधियत करता रहेगा।
9. ऋणी इस दृष्टि बन्धक लेख के अन्तर्गत बैंक से प्राप्त समस्त ऋण ब्याज व अन्य खर्च सहित ऋण प्राप्त करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि से अथवा 31.03 जो भी पहले हो चुका देगा।
10. ब्याज की शर्ते—
 - (अ) यह कि बैंक द्वारा समय – समय पर निर्धारित ब्याजदर अनुसार स्वीकृत ऋण पेटे बकाया शेष पर नियमानुसार ब्याज लगाया और जोड़ा जायेगा।
 - (ब) कि बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर यदि ऋणी ने किसी समय बैंक को देय सम्पूर्ण रकम नहीं चुकाई तो वह कुल मांगती रकम पर बैंक में लागू ब्याजदर से ब्याज का देनदार होगा।
11. बैंक को देय रकम के भुगतान का उपरोक्त शर्तों को अथवा इस इकरार की किसी शर्त का ऋणी द्वारा उल्लंघन होने पर बैंक के ऑफिसरों अथवा एजेन्ट्स को, ऋणी के हर्जे खर्च की यदि जरूरत हो तो ऋणी के मुख्तार की तरह ऋणी की बजाय अथवा ऋणी की और से उन सभी स्थानों पर जहा उपप्राधियत सामान रखा हो प्रवेश करने का, रहने का, उपप्राधियत सामान को कब्जे में लेने का, वसूल करने का अथवा सम्बाल लेने का अधिकार होगा। उस कार्य के लिए बैंक के किसी अफसर को रिसीवर के रूप में नियुक्त करके, निलाम करके बेचने का व्यक्तिगत करा करके अथवा अन्य किसी प्रकार सम्बन्ध में स्वेच्छा से किसी प्रकार का समझौता करके, हिसाब करके, वसुली करके अथवा अन्य किसी प्रकार सौदा करके बेचने से प्राप्त रकम की बैंक देय किसी रकम के भुगतान के लिये ले सकता है मगर बैंक अपने उक्त अधिकारों के प्रयोग के कारण हुए किसी खर्च का अथवा हर्जे का जिम्मेदार नहीं होगा। बैंक अपने अधिकारों के सम्बन्ध में न्यायलय से अथवा राजस्थान कॉ. ऑप. सोसायटी एक्ट 2001 अथवा उसके अन्तर्गत बनें नियमों के अनुसार विधिक सहायतायें भी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा ऋणी करार करता है कि वह बैंक द्वारा रखे गये गिरवी सामान के बेचान के हिसाब को सही मानकर खाते में बकाया रही रकम को पूरा करने का स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।
12. कि यदि उपरोक्त प्रकार बेचान से प्राप्त रकम उस उक्त खाते के हिसाब में बकाया रकम के चुकता भुगतान के लिये पर्याप्त नहीं हो तो बैंक ऋणी का अथवा उनमें से किसी का वह सब धन जो बैंक के उस वक्त साध्य हो, उक्त खाते के हिसाब में बाकि की देय रकम के भुगतान में ले सकता हैं फिर भी चुकता भुगतान के लिए अपर्याप्त हो तो ऋणी वादा करता है और करार करता है कि वह चरण (14)में उल्लेखित प्रकार से रखे जाने वाले उस हिसाब से अदायगी के बाद की स्वीकृति में अपने दस्तखत कर देगा किन्तु इससे बैंक के खातें में किसी समय भी बाकि देय रकम की वसूली करने के सम्बन्ध में बैंक को उपरोक्त स्वीकृति से उसके किसी अधिकार पर न तो कोई विपरीत प्रभाव होगा, न ही कोई आपति की जावेगी।
13. कि उक्त प्रकार बेचान से प्राप्त शुद्ध आय में से यदि बैंक को देय रकम के चुकता भुगतान के बाद कुछ शेष रहे तो यह भी बैंक ऋणी अथवा उनमें से किन्हीं के विरुद्ध

व्यक्तिगत अथवा समिलित रूप से अवशेष किन्हीं और लोन्स, डिस्काउन्टेड, बिल्स, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, गारन्टीज चार्जेज, चालु या देय अन्य ऋण दायित्व विधिक या सामयिक सब प्रकार की जिम्मेदारीयों सहित चाहे ऋणी दिवालिया करार दिया जा चुका हो अथवा दिया जाये तो किसी प्रकार लिक्वीडेशन में हो तो भी व्याज सहित चुकती भुगतान करने में लगा सकता है।

14. कि ऋणी इकरार करता है कि वह बैंक के एकाउन्टेड अथवा अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए हुए ऐसे हिसाब द्वारा ऋणी से देय रकम की मांग की जावें, बिना किसी वाउचर, दस्तावेज अथवा अन्य लिखावट दिखाने की मांग किए सही मानेगा।
15. कि इस इकरार समय—समय पर अथवा बैंक को अंतिम देय रकम की सुरक्षा में सदैव प्रतिभुति स्वरूप कायम रहेगा और खाते में किसी समय देय रकम की जमा उपरान्त भी प्रतिभुति अथवा प्राधियित सामान इसी प्रकार तब तक सुरक्षित समझा जावेगा जब तक कि बैंक लिखित में इस इकरार को समाप्त नहीं कर देता।
16. कि ऋणी घोषित करता है/करते हैं कि सब उप प्राधियित सामान ऋणी का एक मात्र सब प्रकार के भार से पूर्ण मुक्त सम्पत्ति है और आयान्छा भी सामान इसके अन्तर्गत आयेगा वह भी इस प्रकार भार मुक्त होगा कि ऋणी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, जिससे कि उक्त उप प्राधियित सामान अथवा उसमें से कुछ वे बन्धक नहीं रख सके और प्रतिज्ञा करते हैं कि वे बैंक चाहने पर यह सब कार्य अपने खर्च से करेंगे, जिससे इकरार का बैंक के हित में अक्षरशः सही प्रकार पालन हो सके।
17. यदि ऋणी फर्म है अथवा सदस्य है तो फर्म के नाम व विधान में इस इकरार की अवधि तक ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा जिससे की ऋणी अथवा उनमें से किन्हीं के उसके वर्तमान दायित्व में कमी हो जाये अथवा दायित्व से छुटाकारा मिलता हो।

इस दृष्टि बन्धक विलेख पर निम्न की साक्षी में आज दिनांकको

ऋणी ने निम्न गवाहों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं जो सनद रहे और समय पर काम आवें।

शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर

गवाह 1. हस्ताक्षर.....

नाम.....

आवेदक के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

नाम.....

अधिसूची

दृष्टिबन्धक विलेख के जरिए कोलेरेटल सिक्युरिटी बतौर दृष्टिबन्धक रखे गये चल सम्पत्तियों की सूची

दृष्टि बंधक रखे गये माल का संक्षिप्त विवरण	तादाद	बाजार मूल्य रु..

उक्त अधिसूची के अन्तर्गत पाक्षिक प्रस्तुत किये गये स्टॉक की सूची दृष्टि बंधक विलेख के अन्तर्गत कार्यवाही योग्य होगी।

हस्ताक्षर

ऋण आवेदक

चित्तौड़गढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., चित्तौड़गढ़

वचन—पत्र

रूपये.....

दिनांक

मैं/हम पुत्र.....

चित्तौड़गढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., चित्तौड़गढ को /अथवा आज्ञानुसार मांग करते ही रूपये
.....जो हमने प्राप्त किए हैं.....प्रतिशत वार्षिक दर एवं बैंक द्वारा
समय—समय पर परिवर्तित व्याजदर मासिक/अद्व्यार्षिक/वार्षिक से चुकाने का वचन देता हूँ/देते हैं।

1/-
रसीदी
टिकिट

श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय,
चित्तौड़गढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., चित्तौड़गढ
शाखा.....

—:अविरल—पत्र:—

दिनांक.....

मान्यवर,

मैं/हम एक वचन
पत्र रु..... अक्षरे.....

मात्र का संलग्न करते जिस पर मैंने/हमने हस्ताक्षर किये हैं जो किसी ऋण राशि चूकाने हेतु प्रत्याभूति स्वरूप से आपके यहां जो मेरे/हमारे नाम है या बाद में नाम हो के भुगतान के लिये देते हैं। यह राशी अभी हमारे नाम पड़ी है के लिए जिम्मेदार हैं। उपरोक्त वचन पत्र अदेय ऋण की बाकि रकम के पुर्णभुगतान के लिए प्रत्याभूति स्वरूप समझा जावें और उपरोक्त वचन पत्र के प्रति उस समय तक उतरदायी है जब तक की उसका चूकता भूगतान नहीं हो जाता है चाहे ऋण की रकम समय—समय पर कम होती रहे अथवा समस्त समाप्त हो जावे अथवा बढ़ जाए।

दिनांक

हस्ताक्षर

ऋण आवेदक

Chittorgarh Kendriya Sahakari bank Ltd.

Chittorgarh

Letter Of Lien And Set-Off

Date.....

To,

The Manager

Chittorgarh Kendriya Sahakari Bak Ltd.

Branch

Dear Sir,

In consideration of your making advances to me /us and/or giving me/us banking accommodation and facilities by way of loan/overdraft/each credit from time to time. I/we agree with you as follows.

1. That you may hold all securities belonging to me/us which may now be in your possession or which may at any time here after come into your Possession and the proceeds there of respectively not only for the Specific advance made thereon but also as collateral security for any other moneys now due or which may at any time be due from me/us to your whether singly or jointly with another or others.
2. That in addition to any general similar right to which you as banker's may be entitled by law. You mat at any time and without notice to me/us combine or consolidate all or any or of my/our accounts with and liabilities to you and set off or transfer any sums standing to the credit of any one or more of such accounts in or towards satisfaction of my/our liabilities to you on any other account or in any other respect, whether such liabilities be actual or contingent primary or collateral and several or joint.
3. That if any balance of the sale proceeds shall remain in the hands of the bank after the sale of any of the securities the bank may as its sole discretion apply the balace if any towards any sum of sums of money the may be owing to me/us to the bank upon any other account or any other transaction or transaction separate or distinct from the security, and you will pay to me/us any surplus which may remain after settlement of all claims or your bank against me/us

At this..... Day of.....

Yours Faithfully

Vitness 1-

Vitness 2-

श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय,

चित्तौड़गढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. चित्तौड़गढ

चित्तौड़गढ (राज.)

द्वारा :— शाखा व्यवस्थापक शाखा—.....ऋण योजना के महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैंनेऋण योजना के अन्तर्गत रूपये.....

अक्षरे रूपये.....का ऋण आवेदन किया है जिसकी स्वीकृति आप द्वारा दी गई है मैं इस ऋण के सन्दर्भ में आपको निम्नांलिखित अधिकार देता हूं।

1. उपरोक्त ऋण चुकाने में यदि मैं किसी प्रकार की चुक करता हूं या नियमित रूप से किश्ते चुकाने में असमर्थ रहता हूं तो बैंक मेरा नाम सार्वजनिक तौर पर उजागर कर सकता है।
2. बैंक द्वारा जब भी उपरोक्त ऋण की अदायगी में कभी भी किसी प्रकार से ऋण जमा कराने के निर्देश देगा उसी अनुरूप में ऋण जमा करा दूरां।
3. मेरे नाम से, मेरे हिन्दू अविभाजित परिवार के नाम से अथवा मेरे परिवार के नाम से समस्त चल व अचल सम्पत्ति को बेचकर ऋण राशि जमा कराने का अधिकार बैंक को देता हूं जिस पर मुझे किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा।
4. स्टाम्प लॉ में संशोधन अथवा भविष्य में होने वाले संशोधन को देखते हुए अगर दस्तावेज पर स्टाम्प डयूटी लगाई जाती है अथवा कम पाई जाती है जो उसको पूरा करने का दायित्व मेरा होगा और इस हेतु कोई आपत्ति स्टॉम्प डयूटी के सन्दर्भ में होने की, उठाने का अधिकार नहीं होउगा।
5. मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा समयावधि में ऋण चुकता नहीं करने पर बैंक को अधिकार होगा कि बैंक मेरे द्वारा रखी जाने वाली कोलेटरल प्रतिष्ठूति एवं इसके अतिरिक्त मेरी जमीन जायदाद को विक्रय करें या अन्य तरीके से मांग पेटे रकम प्राप्त कर ऋण वसूल कर लेवे जिसमें मैं व मेरे उत्तराधिकारी को कोई उजरदारी नहीं होगी।
6. ऋण स्वीकृति पत्र की शर्त सं.....सेतक मुझे मान्य हैं। उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक के अधिकार हमारे पर भी लागू होंगे ये सभी अधिकार हम बैंक को देते हैं। इनमें हमें कोई एतराज नहीं है।

हस्ताक्षर

हम उपरोक्त ऋण में जमानतदार हैं तथा बिन्दु संख्या 1 से 6 तक के अधिकार हमारे पर भी लागू होंगे ये सभी अधिकार हम बैंक को देते हैं। इनमें हमें कोई एतराज नहीं है।

1. हस्ताक्षर जमानतदार

2. हस्ताक्षर जमानतदार

(प्रारूप पर ऋणी/जमानतदार के हस्ताक्षर नहीं कराकर प्रथक से हस्तालिखित/टंकणशुदा पत्र जरिए डाक से प्राप्त करें)

श्रीमान् शाखा व्यवस्थापक

चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. चित्तौड़गढ़

शाखा.....

प्रिय श्रीमान्

जैसा कि मुझे/हमें जरिए ऋण स्वीकृति पत्र दिनांक क्रमांक दिनांक

से रुका ऋण बैंक की.....ऋण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है जिसके लिए बतौर सिक्योरिटी मेरे द्वारा अचल सम्पत्ति जिसका विवरण निम्नानुसार है के मूल दस्तावेज बैंक में दिनांकको प्रस्तुत कर दिये गये हैं। जिसकी पुष्टि करता हूं।

मेरे द्वारा उक्त सम्पत्ति के दस्तावेज प्रस्तुति की बैंक से रसीद प्राप्त कर ली गई हैं। अतः सुचनार्थ प्रेषित

अचल सम्पत्ति का विवरण

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

भवदीय

हस्ताक्षर

ऋणी/जमानतदार

MORTGAGE

EQUITABLE MORTGAGE (MEMORANDUM ACCOMPANYING DEPOSIT OF DEEDS)

MEMORANDUM

I/we.....
..... aged

years in consideration of the sum of Rs.

(Rupees.....).....
advance to me (.....).....
by chittorgarh kendriya sahkari bank Ltd. Chittorgarh

Registered under.....
The receipt where of I/we do hereby acknowledge. Have this day herein
below mentioned. Deposited with the said
the deeds and documents set out in the list here to as security, for the
repayment of the said sum of Rs.
.....(Rupees.....)
.....with interest thereon at the rate of percent per
annum from the date here of till full payment.

In witness this day

.....

.....

Witness

Mortgager

Equitable mortgage – deposit of title deed to secure a given sum and interest
repayable within in a fixed period

THE EQUITABLE MORTGAGE IS MADE ON THE
.....
..... BETWEEN

..... mortgager
(s) of the one part and
CHITTORGARH KENDRIYA SAHKARI Bank LTD. CHITTORGARH
having its registered office at chittorgarh on the other part.

Whereas the said CHITTORGARH KENDRIYA SAHAKARI Bank LTD.
CHITTORGARH has advanced to the said the
sum of the Rs.....(rupees
.....) the receipt where of the said
..... CHITTORGARH KENDRIYA SAHAKARI
Bank LTD. CHITTORGARH of such advances aggregating the afore said
sum of Rs.
.....(rupees.....
.....) and for further securing the
repayment there of on demand with interest there on at the rate of
..... percent per annum from the date of deposit with the said ,
..... CHITTORGARH KENDRIYA SAHKARI Bank LTD.
CHITTORGARH the deeds documents pertaining to the title to
..... and do hereby charge the premises comprised in the said
deeds of documents with the Repayment of the said sum of Rs.
..... (Rupees)
with
interest there on at the rate of Percent per annum
or such rate of interest to be payable monthly along with principal on or
before 10th day of each month.

AND IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

1. That should any interest remain unpaid for a period of more than six month from its actual and/or after the expiry of the period specified herein the said CHITTORGARH KENDRIYA SAHAKARI Bank

LTD. CHITTORGARH shall have the right to call or enforce payment of the sums under this mortgage.

2. That shall pay the interest as stated above and on failure it shall be added to the principal such principal shall in any case be rapid in monthly installment of Rs. Rupees.....
..... only,
commencing from..... shall on demand by the said
..... CHITTORGARH KENDRIYA SAHKARI Bank LTD. CHITTORGARH and at the cost execute a SIMPLE MORTAGAGE of the property hereby mortgaged in the terms and conditions as to interest and manner or payments specified here in and such other conditions as may be imposed by CHITTORGARH KENDRIYA SAHKARI Bank LTD. CHITTORGARH in WITNESS WHERE OF the said
..... have here to signed at the day and the year first above mentioned.

Witness :
Mortgager

CHITTORGARH KENDRIYA SAHKARI Bank LTD.
CHITTORGARH

Schedule of property

List of documents deposited with chittorgarh kendriya sahkari bank Ltd., Chittorgarh relating the property comprising

.....
.....
.....

Bounded as below :-

1. Sale deed dated Executed by
.....
.....
.....
.....

We, **CHITTORGARH KENDRIYA SAHKARI Bank LTD.** **CHITTORGARH** hereby acknowledged to have this day received the above listed deed and documents and undertake to redeliver the same intact (damage by fire or other/inevitable accident only excepted) to the said

.....
.....
.....
.....

.....on receipt by us of the money by equitable mortgage of even date.

Date this the

BRANCH MANAGER
MORTGAGER

Receipt of documents to be given by the mortgagee to the mortgager.

LETTER OF WAIVER

Place.....

Date

The Branch Manager

..... Branch

Dear sir,

With Reference to my/our demand promissory note dated the
for Rs. (Rupees)executed by
me/us in your favour. I/we have to please on record that I/we do hereby waive my/our
right/right to take advantages of any default in presentment for payment of the said
promissory note to me/us, as required by law.

Yours Faithfully

Signature (s) :

Name (s) :

Designation :

Seal :